छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण कमांक 721/2007</u>

1. **श्री विजय कुमार दास,** **जनता क्वाटर नंबर-78,** **सेक्टर-2, शंकर नगर,** **रायपुर (छत्तीसगढ़)**	-	*शिकायतकर्ता*

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** **कार्यालय सचिव, छ0ग0 शासन,** **.उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय** **रायपुर (छत्तीसगढ़)**	-	*अनावेदक*

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 11 अप्रैल, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत दिनांक 05.10.2007 द्वारा अवगत कराया कि सामान्य प्रशासन विभाग, छ0ग0 शासन एवं महामहिम राज्यपाल के सचिवालय के जन सूचना अधिकारी को दिये गये आवेदन दिनांक 20.09.2007 के संदर्भ में उसे जानकारियाँ प्राप्त नही हुई ।

2/ जन सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग एवं राज्यपाल के सचिवालय द्वारा अधिनियम की धारा-6(III) के अन्तर्गत शिकायतकर्ता का आवेदन कमशः दिनांक 20.09.2007 एवं दिनांक 21.09.2007 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अंतरित किया गया था ।

3/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता को दिनांक 15.10.1997 तथा 08.11.2007 के पत्र द्वारा जानकारियाँ दी गई । विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग ने उक्त पत्र की प्रतिलिपि सुनवाई दिनांक 20.03.2008 को मेरे समक्ष प्रस्तुत की । उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारियों से स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता ने जिन मुद्दो पर जानकारियाँ चाही थी, उस पर सुस्पष्ट जानकारियाँ नही दी ।

//2//

4/ शिकायतकर्ता द्वारा माँगी गई जानकारी :-

''बिना विश्वविद्यालय के संबद्धता प्राप्त किये विश्वविद्यालय का मोनो लगी एवं बिना विश्वविद्यालयीन समक्ष प्राधिकारी के हस्ताक्षर के अंकसूची छात्र-छात्राओं को जारी करना, जिसका कोई विश्वविद्यालयीन नामांकन या रिकार्ड नही हो, ऐसा कृत्य क्या किसी प्रावधान के अन्तर्गत पदीय कर्तव्य के निर्वहन की परिभाषा में आता है ?''

(I) तत्संबंधी प्रावधान अथवा आदेश/निर्देश की प्रमाणित प्रतिलिपि माँगी है ।

(II) यदि नही तो क्या उक्त कृत्य आपराधिक अभियोजन हेतु पर्याप्त है ।

5/ शिकायतकर्ता ने उपरोक्त बिन्दु के संबंध में :-

अ. पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 421/अका/2007, दिनांक 21.03.2007 द्वारा जारी भारत वर्ष में कही भी शासकीय नौकरी प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नही होगा ।

ब. सत्र् 2005-06 में अध्ययनोपरान्त शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर स्वशासी द्वारा अंकसूची क्रमांक 6706 दिनांक 29.08.2006 के संदर्भ में लिखा है कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के समक्ष प्राधिकारी के हस्ताक्षर नही है ।

6/ बिन्दु क्रमांक-1 (I) (II) और अ एवं ब के मुद्दे स्वशासी विज्ञान महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के भविष्य से व्यापक रूप में जुड़े हुये हैं, अतः निर्देश दिये जाते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग विस्तृत रूप से इनका परीक्षण करे तथा बताये कि इस संबंध में पूर्व में क्या-क्या निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि निर्देश जारी नही किये गये हो तो परीक्षण करके सुस्पष्ट निर्देश जारी किये जावे और आवश्यकतानुसार विधि विभाग से परामर्श लिया जावे । शिकायतकर्ता को स्थिति से अवगत कराते हुए आयोग को भी प्रतिवेदन दो माह में भेजा जावे ।

7/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त